

## केंद्रीय सडक अनुसंधान संस्थान

### राजभाषा अनुभाग

सं 20-4/12/16-राभा

दिनांक 16/05/2016

### कार्यालय जापन

#### विषय : संस्थान द्वारा संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति के आश्वासनों पर कार्रवाई ।

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति द्वारा दिनांक 31/12/न का राजभाषा को संस्था 2014 विषयक निरीक्षण किया गया था। संस्थान द्वारा संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों को पूरा करने के संदर्भ में संस्थान में समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इस संदर्भ में संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 08.04.2016 को आयोजित बैठक में संसदीय समिति को दिए गए आश्वासनों को पूरा करने की दिशा में हुई प्रगति पर चर्चा की गई।

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति को दिए गए दस आश्वासनों में से दो आश्वासनों को संस्थान द्वारा पूरा कर लिया गया है तथा सतत् कार्रवाई की अपेक्षा वाले शेष आश्वासनों को पूरा करना संस्थान के प्रत्येक कार्मिक का दायित्व है। ऐसे में संसदीय समिति को दिए गए आश्वासनों को पूरा करने के लिए सभी अनुभागीय/प्रभागीय प्रमुखों द्वारा व्यक्तिगत एवं प्रभागीय स्तर पर अपने-अपने दायित्व का निर्वहन महत्वपूर्ण हो जाता है।

उपर्युक्त को देखते हुए संस्थान द्वारा संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों को पूरा करने के संदर्भ में अब तक की प्रगति और अपेक्षित कार्रवाई का विवरण सभी अनुभागीय/प्रभागीय प्रमुखों को परिचालित किया जा रहा है ताकि आश्वासनों पर समयबद्ध कार्रवाई की जा सके। यह निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

ह0

(डी.विजयलक्ष्मी)

प्रशासन नियंत्रक

#### प्रतिलिपि

- 1 निदेशक महोदय का कार्यालय
- 2 प्रशासन नियंत्रक का कार्यालय
- 3 सभी अनुभागों/प्रभागों के प्रमुख
- 4 प्रभागीय प्रमुख, सीसीएन - वेबसाइट पर अपलोड कराने के लिए
- 5 सभी सूचना पट्ट
- 6 कार्यालय प्रति

**संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासन**

क्र.	आश्वासन	कार्रवाई व स्थिति	प्रस्तावित कार्रवाई
1	जिन अधिकारी/कर्मचारी को हिंदी का ज्ञान नहीं है, प्रशिक्षण जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा।	संबंधित एक (01) कर्मिक ने स्वेच्छा से हिंदी भाषा के कार्यसाधक ज्ञान की घोषणा कर दी है।	आश्वासन पूरा किया गया।
2	हिंदी जानने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपना अधिक से अधिक काम हिंदी में किया जाएगा।	हिंदी जानने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 2015 में व्यक्तिशः आदेश जारी किए गए।	कार्यालय ज्ञापन सं 20-4/11/14-राभा दिनांक 2/12/2015 के अनुसार हिंदी जानने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है।
3	उच्च अधिकारियों को कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित किया जाए।	निदेशक महोदय के हस्ताक्षर से वर्ष 2015 के दौरान कंप्यूटर पर हिंदी में काम की मात्रा बढ़ाने के संबंध में कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया।	सभी उच्च अधिकारियों द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है।
4	'क' क्षेत्र से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएंगे।	पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों को निदेशक महोदय के निदेश के अनुसार उत्तरदायी बनाया गया है।	अनुभागीय/प्रभागीय प्रमुखों एवं सभी हस्ताक्षरकर्ता अधिकारियों द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है।
5	मूल पत्राचार में हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जाएगा तथा भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा।	पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों को नियम के अनुसार मूल पत्राचार में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है।	अनुभागीय/प्रभागीय प्रमुखों एवं सभी हस्ताक्षरकर्ता अधिकारियों द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है।
6	कार्यालय में प्रयुक्त सभी कंप्यूटरों आदि पर देवनागरी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा उनका उपयोग मुख्यतः हिंदी में काम करने के लिए किया जाएगा।	अधिकांश कंप्यूटरों पर हिंदी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है तथा कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण के माध्यम से हिंदी में काम करने की जानकारी दिलाई गई है।	राकास के निर्णय के अनुसार सीसीएन प्रभाग से सहायता ली जा सकती है।
7	हिंदी पुस्तकों की खरीद की राशि बढ़ाई जाएगी तथा भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य पूरा किया जाएगा।	पुस्तकालय प्रभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य का पूरा पालन किया जा रहा है।	नियमानुसार पुस्तकालय प्रभाग द्वारा भविष्य में भी अनुपालन अपेक्षित है।
8	पूरा काम हिंदी में करने के लिए कुछ और अनुभागों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा।	संस्थान के केयरटेकर, बागवानी, अतिथि गृह 1, अतिथि गृह 2, कैंटीन, बिल अनुभाग, रोकड़ व क्रय अनुभाग पूरा काम हिंदी में करने के लिए विनिर्दिष्ट किए गए हैं।	सभी नामोद्दिष्ट अनुभागों द्वारा पूरा काम हिंदी में करने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जाएं। राकास के निर्णय के अनुसार सिविल अनुभाग व परिवहन एकक द्वारा अधिकांश काम हिंदी में किया जाना अपेक्षित है।
9	मुख्यालय/क्षेत्रीय मुख्यालय द्वारा सभी विज्ञापन द्विभाषी/त्रिभाषी रूप में जारी किए जाएंगे तथा विज्ञापन की राशि का व्यय नियमानुसार किया जाएगा।	कार्यालय ज्ञा.सं. 20-4/11/14-राभा दिनांक 2/12/2015 के अनुसार संबंधित अनुभागों/प्रभागों को नियम के पालन के लिए आदेश दिए गए हैं।	सभी संबंधित अनुभागों/प्रभागों द्वारा विज्ञापनों के संबंध में नियमों का पूर्ण पालन अपेक्षित है।
10	ध्यान देने योग्य बातों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।	कार्रवाई की गई।	-----

